

राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय)

क्रमांक : 01

दिनांक : 30.04.2016

प्रदेश कार्यकारिणी निर्वाचन विज्ञप्ति

राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) के विधान की धारा 28 (क) के अनुसरण में सत्र 2016-17 के लिए प्रदेश कार्यकारिणी के निर्वाचन के लिए चुनाव विज्ञप्ति प्रसारित की जाती है। विज्ञप्ति में जारी कार्यक्रम में संशोधन एवं परिवर्तन का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा। नियत तिथि के दिन घोषित समय कार्यक्रम में परिस्थितिनुसार आंशिक संशोधन निर्वाचन अधिकारी कर सकेंगे। निर्वाचन 18-19 मई 2016 को फ्लॉवर किड्स पब्लिक स्कूल विद्या नगर, पंचवटी, सागवाड़ा, डूंगरपुर में आयोजित है।

प्रदेश कार्यकारिणी निर्वाचन के लिए आवश्यक निर्देश

- प्रदेश कार्यकारिणी के लिए निम्न पदों के लिए निर्वाचन होगा—**
सभाध्यक्ष-1, उपसभाध्यक्ष-2, अध्यक्ष-1, वरिष्ठ उपाध्यक्ष-1, उपाध्यक्ष-विभाग द्वारा गठित प्रत्येक संभाग अनुसार-1 एवं उपाध्यक्ष-माध्यमिक, प्रारम्भिक व संस्कृत क्षेत्र से प्रत्येक से-1, महिला उपाध्यक्ष-1, महामंत्री-1, मंत्री-1, महिला मंत्री-1, कोषाध्यक्ष-1 तथा सदस्य-15, अध्यापक-1, पंचायत समिति शिक्षक-1, वरिष्ठ अध्यापक-1, प्राध्यापक-1, प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य सदस्य-1, महाविद्यालय सदस्य-1, संस्कृत शिक्षा सदस्य-1, अवर उप जिला शिक्षा अधिकारी/शिक्षा प्रसार अधिकारी-1, महिला शिक्षक सदस्य-1, प्रयोगशाला सहायक सदस्य-1, शारीरिक शिक्षक-1, पुस्तकालयाध्यक्ष प्रतिनिधि-1, निजी शिक्षण संस्था सदस्य-1, सेवानिवृत्त शिक्षक-1 एवं प्रबोधक-1
- प्रत्येक पद के लिए प्रत्याशी को चुनाव अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित नामांकन पत्र भरना होगा, जो 5/- रुपये शुल्क देकर निर्वाचन स्थल पर प्राप्त किया जा सकेगा।
- प्रदेश महासमिति के प्रत्येक सदस्य को शिक्षक संदेश का सदस्य होना अनिवार्य होगा। सम्बन्धित चुनाव अधिकारी के पास निर्वाचन स्थल पर 100/- रुपये वार्षिक शुल्क जमा करवाकर शिक्षक संदेश का सदस्य बनाया जा सकेगा। इसके अभाव में प्रत्याशी का नामांकन निरस्त किया जा सकता है। पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी के निर्वाचित सदस्यों एवं आजीवन सदस्य के नाते सम्मिलित सदस्यों पर भी यह अनिवार्यता लागू होगी।
- यदि किसी सदस्य/पदाधिकारी के पास संगठन की किसी प्रकार की राशि, खाली या भरी रसीद बुक अथवा अन्य राशि आदि बकाया होना प्रमाणित होता है तो वह चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा। निर्वाचन के पश्चात् भी उक्त प्रमाणित हो जाने पर उसका निर्वाचन निरस्त किया जा सकेगा।

निर्वाचन का कार्यक्रम निम्नानुसार रहेगा :-

मतदाता सूची प्रकाशन	:	03 मई 2016 को प्रदेश कार्यालय एवं निर्वाचन स्थल पर
आपत्ति का समय	:	18 मई 2016 को प्रातः 11.00 बजे
संशोधित एवं अन्तिम मतदाता सूची का प्रकाशन	:	18 मई 2016 को मध्याह्न 12.00 बजे
नामांकन प्रस्तुत करना	:	18 मई 2016 को रात्रि 08.00 से 9.30 बजे तक
प्रत्याशियों की प्रथम सूची का प्रकाशन	:	18 मई 2016 को रात्रि 10.30 बजे
नाम वापस लेना	:	19 मई 2016 को प्रातः 8.00 बजे तक
प्रत्याशियों की अन्तिम सूची का प्रकाशन	:	19 मई 2016 को प्रातः 10.00 बजे
मतदान यदि आवश्यक हुआ	:	19 मई 2016 को प्रातः 11 से मध्याह्न 01 बजे तक
मतगणना व चुनाव परिणाम	:	मतदान के तुरन्त बाद



(प्रहलाद शर्मा)
प्रदेश संगठन मंत्री